रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2011/कार्तिक 12, 1933
No. 601] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2011/KARTIKA 12, 1933

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 794(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक विभाग (डाक सहायक एवं छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डाक सहायक एवं छंटाई सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक सहायक एवं छंटाई सहायक) (समूह ग अराजपत्रित) भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु और अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा गैर–चयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. डाक सहायक और छंटाई सहायक (विदेश डाक संगठन से अन्यथा अन्य डाकघरों में)	120291* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (राजपत्रित अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–1, 5200—20200 रु. धन 2400 रु. ग्रेड वेतन	चयन	18 से 27 वर्ष (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक के लिए छूट) । **टिप्पण 1 :** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप–खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजागर कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती हेतु आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से 10 + 2 कक्षा अथवा 12वीं कक्षा पास की हो जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय रहा हो (व्यावसायिक विषय वर्ग को छोड़कर), अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 प्रतिशत अंक;	नहीं	दो वर्ष

(7)
(ii) संबंधित डाक सर्किल के राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा अथवा हिन्दी एक विषय के तौर पर मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष कक्षा तक पढ़ी हो ।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(क) 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा और इस प्रकार से न भरे जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर भर्ती डिवीजन अथवा यूनिट के ग्रामीण डाक सेवकों की सीधी भर्ती द्वारा उन रिक्तियों को ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* से संबंधित परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जो संबंधित वर्ष की जनवरी की 1 तारीख को भरी नहीं गई हैं। यदि इसके बाद भी ये पद ग्रामीण डाक सेवकों से नहीं भरे जा पाते हैं तो इन्हें उसी वर्ष खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा उन अन्य उम्मीदवारों में से भरा जाएगा जो आयु और अर्हता शर्तों को पूरा करते हैं । (i) ग्रामीण डाक सेवकों को 10+2 कक्षा अथवा 12वीं कक्षा में अंग्रेजी के अनिवार्य विषय के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना चाहिए (व्यावसायिक विषय वर्ग को छोड़कर) और उन्होंने न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा पूरी की हो; (ii) उन्हें अधिकतम 30 वर्ष का होना चाहिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ष) *ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक हैं परंतु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर हैं जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा होगी । (ख) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । **स्पष्टीकरण :** प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए परीक्षा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदकों की लघु सूची तैयार करने के मानदंड, पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न आदि के संबंध में जारी अनुदेशों के द्वारा नियंत्रित होगी ।	**प्रोन्नति द्वारा :** 1. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200-20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डाकिया/मेल गार्ड—ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ । 2. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200-20200 रु. + 1900 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डिस्पैच राइडर-ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसमें नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा सम्मिलित है । 3. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200-20200 रु. + 1800 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में मल्टी टास्किंग स्टाफ-ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसमें नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा सम्मिलित है । **टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है) से नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) :— i. वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर —अध्यक्ष ii. दो समूह 'ख' (राजपत्रित अधिकारी) —सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. दिल्ली कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में विदेश डाक संगठनों में डाक सहायक और छंटाई सहायक	457* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'ग', (राजपत्रित) (अनुसचिवीय)	5200—20200 रु. वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2400 रु.	चयन	18 से 27 वर्ष (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक के लिए छूट) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10 + 2 कक्षा अथवा 12वीं कक्षा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से पास की हो जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय रहा हो (व्यावसायिक विषय वर्ग को छोड़कर), अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 प्रतिशत अंक; (ii) संबंधित डाक सर्किल के राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा अथवा हिन्दी एक विषय के तौर पर मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष कक्षा तक पढ़ी हो।	नहीं	दो वर्ष

(10)	(11)
(क) 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा (ख) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** 1. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200-20200 रु. + 1900 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डिस्पैच राइडर-ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के

(10)	(11)
स्पष्टीकरण :—प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए परीक्षा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदकों की लघु सूची तैयार करने के मानदंड, पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न आदि के संबंध में जारी अनुदेशों के द्वारा नियंत्रित होगी।	साथ जिसमें नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा सम्मिलित है। 2. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200-20200 रु. + 1800 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में मल्टी टास्किंग स्टाफ- ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसमें नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा सम्मिलित है। **नोट :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है) से नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) :— (i) वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर —अध्यक्ष (ii) दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 37-47/2010-एसपीबी-1].

राज कुमार, निदेशक (स्टाफ)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2011

G.S.R. 794(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Postal Assistants and Sorting Assistants) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Postal Assistants and Sorting Assistants in the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Posts (Postal Assistants and Sorting Assistants) (Group C non-Gazetted), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, their classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay /Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

4047 GI/11-2.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Postal Assistant and Sorting Assistant (in offices other than Foreign Post Organisation)	120291* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	₹5200—20200 PB-1 Grade Pay ₹2400	Selection	18-27 years (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes up to 5 years and for candidates belonging to Other Backward Classes up to 3 years and for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 10 + 2 standard or 12th class pass with at least 60% marks, from recognised University/Board of School Education Board of Secondary Education with English as a compulsory subject (excluding vocational streams), 55 % for Other Backward Classes and 45% for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. (ii) Should have studied local language of the State or Union Territory of the concerned Postal Circle or Hindi as a subject at least in Matriculation or equivalent.	No	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(a) 50% of the posts by promotion through a Limited Departmental Competitive Examination failing which the unfilled vacancies shall be filled up by direct recruitment of Gramin Dak Sevaks* of the recruiting division or unit on fulfilling the following conditions, as on 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) pertain to, on the basis of examination limited to such Gramin Dak Sevaks and if the posts still remain unfilled by the Gramin Dak Sevaks, these shall be filled by direct recruitment from amongst other open market candidates of the same year, fulfilling the age and qualification conditions. (i) The Gramin Dak Sevaks should have obtained at least 50 % marks in 10 + 2 Standard or 12th Class with English as a Compulsory subject (excluding vocational streams) and have put in a minimum service of five years; (ii) They should be within 30 years of age (35 years for those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 33 years for Other Backward Classes). *Gramin Dak Sevaks are holder of Civil Posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment will be by direct recruitment; (b) 50 % by direct recruitment. **Explanation :**—The examinations for promotion and direct recruitment shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria of the applicants, syllabus and pattern of test etc. from time to time.	**Promotion** 1. Postman/Mail Guard, in the Pay Band 1 of ₹ 5200-20200 + Grade Pay ₹ 2000 of the concerned Unit/Division with three years of regular service in the Grade. 2. Despatch Rider in the Pay Band 1 of ₹ 5200-20200 + Grade Pay ₹ 1900 of the concerned Unit/Division with five years of regular service in the Grade including any regular service put in the erstwhile Goupr 'D' post on regular basis. 3. Multi Tasking Staff, in the Pay Band 1 of ₹ 5200-20200 + Grade Pay ₹ 1800 of the concerned Unit/Division with five years of regular service in the Grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis. **Note** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) :— 1. Senior Superintendent of Post Offices/ Superintendent of Post Offices —Chairman 2. Two Group 'B' (Gazetted) Officers —Members	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Postal Assistant and Sorting Assistant (in the Foreign Post Organisations in Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai	457* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	PB-1 ₹5200—20200 (Grade Pay ₹2400)	Selection	18-27 years (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes up to 5 years and for candidates belonging to Other Backward Classes up to 3 years and for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
(i) 10 + 2 standard or 12th class pass with at least 60% marks, from recognised University/Board of School Education/Board of Secondary Education with English as a compulsory subject (excluding vocational streams), 55 % for Other Backward Classes and 45% for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates. (ii) Should have studied local language of the State or Union Territory of the concerned Postal Circle or Hindi as a subject at least in Matriculation or equivalent.	No	Two years

(10)	(11)
(a) 50% of the posts by promotion through a Limited Departmental Competitive examination. (b) 50 % by direct recruitment. **Explanation :**—The examinations for promotion and direct recruitment shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria of the applicants, syllabus and pattern of test etc. from time to time.	**Promotion** 1. Despatch Rider, in the Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900 of the concerned Unit/Division with five years of Regular service in the Grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis. 2. Multi Tasking Staff, in the Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1800 of the concerned Unit/Division with five years of regular service in the grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis. **Note :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commmission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) :— 1. Senior Superintendent of Post Offices/ Superintendent of Post Offices —Chairman 2. Two Group 'B' (Gazetted) Officers —Members	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 37-47/2010-SPB-I]

RAJ KUMAR, Director (Staff).

4047GI/11-3.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.